

**न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)**

पीठासीन अधिकारी— डॉ एन.पी.सिंह (आई)

प्रकरण संख्या— 169/17

बउनवान

बजरंगलाल उम्र 75 वर्ष पुत्र श्री परसादीलाल जाति—ब्राहमण जाति—कोटडा  
तहसील—बारां जिला—बारां

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

**अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956**

उपस्थिति :-1. श्री बालमुकुन्द गुर्जर, अभिभाषक  
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)  
(रेस्पॉडेंट)

**निर्णय दिनांक— 26.03.2018**

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 14.3.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—कोटडा, तहसील—बारां की आराजी खसरा नम्बर 99 रकबा 0.24 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 120/—रूपये अर्थदण्ड एवं 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो, तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलांट के विरुद्ध एकतरफा पारित किया गया है। सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया है, कभी बेदखल भी नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नितान्त असत्य तथ्यों पर आधारित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वर्णित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध उक्त आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.03.2014 निरस्त फरमाया जावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पॉडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व

जिला कलक्टर  
बारां (राज०)



जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर सजा सुनाया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत कोई भी उल्लेख नहीं है। स्वतंत्र गवाहान के बयान एवं पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को पश्चात्वर्ती नहीं घोषित किया जा सकता। विवादित आराजी से अपीलान्ट को कब्जा छोड़ दिया है। अपीलान्ट भविष्य में उक्त आराजी पर कभी अपीलान्ट करने हेतु बचनबद्ध है। उसके विरुद्ध कोई तावान राशि भी बकाया नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निसत्यमेव जयते।

उक्त विपरीत परोकार सरकार ने अपीलान्ट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 950/13 निर्णय दिनांक 20.12.2013 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलान्ट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रति सहानुभूति का रख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा आदेश दिनांक 14.3.2014 से पारित बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 573/14 में पारित निर्णय दिनांक 14.3.2014 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलान्ट विवादित आराजी से कब्जा छोड़ दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटैकिंग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 14.3.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.3.2014 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 26.3.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।



  
(डॉ०एस.पी.सिंह)  
जिला कलक्टर, बारां  
बारां (यब०)